पत्रांकः: जी0एस0टी0/2022-23/ 83

राज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, राज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 12 मई, 2022

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्य0) राज्य कर/
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर (खण्डों में कार्यरत)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था-1-कार्य एवं दायित्व/624/वाणिज्य कर दिनांक 27.05.2008 द्वारा अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया था, जिसे पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि/2018-19/430/वाणिज्य कर दिनांक 19 नवम्बर, 2018 द्वारा संशोधित करते हुए अधिकारियों को करयोग्य समस्त विधिक कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार अधिकृत किया गया था-

1. उपायुक्त-2 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त-25 लाख से अधिक व 2 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)
3. राज्य कर अधिकारी-25 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)

जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीयन के सम्बन्ध में किये गये विधिक संशोधनों तथा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उपर्युक्त आवर्त सीमा निम्न प्रकार संशोधित की जाती है-

(क) निर्माता व्यापारी (Manufacturer) के सम्बन्ध में-

1. उपायुक्त-1 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त-50 लाख से अधिक व 1 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी-50 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

(ख) व्यापारी (Trader) के सम्बन्ध में-

1. उपायुक्त-2.50 करोड़ करयोग्य आवर्त से अधिक के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
2. सहायक आयुक्त-75 लाख से अधिक व 2.50 करोड़ तक आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।
3. राज्य कर अधिकारी-75 लाख तक करयोग्य आवर्त के आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)।

खण्ड में तैनात उपायुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं राज्य कर अधिकारी सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपने खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यापारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

भवदीया

10/5/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0/ 83 /तद् दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एडीशनल कमिश्नर(विधि) राज्य कर, मुख्यालय।
2. ज्वाइण्ट कमिश्नर(स्थापना राज0) राज्य कर, मुख्यालय।
3. ज्वाइण्ट कमिश्नर(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

10.5.2022

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।